



2026:AHC: 125045

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2919/2025

सतीश और 3 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : सत्य नारायण यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अभय कुमार पांडेय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य नारायण यादव, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार पांडेय और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 5674 वर्ष 2016 (ओम प्रकाश बनाम सतीश और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 89 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 452, 323, 506 भा.द.सं. और एस.सी./एस.टी. अधिनियम की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 3(1)10, थाना लाइनपार, जिला फिरोजाबाद से उत्पन्न है, में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 28.11.2016 को अपास्त करने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने बीच के सभी विवादों को सुलझा लिया है तथा अब वे इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2025 के अनुपालन में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौता विलेख का संबंधित विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिनियम) द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। इसके अलावा अभिलेख से पता चलता है कि सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 भी प्राप्त हो चुकी है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच हुआ समझौता इस प्रकरण के सूचनाकर्ता पर किसी भी दबाव या असम्यक असर के बिना किया गया है और यह पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

5. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान वाद विशुद्ध रूप से निजी विवाद की प्रकृति का है और प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि कथित अपराध सूचक की जाति के कारण नहीं किया गया है और एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को छोड़कर, अभियुक्त के विरुद्ध मामूली अपराध अधिरोपित किए गए हैं। इसके अलावा, पक्षकारों के बीच समझौता किसी भी असम्यक असर के बिना सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. क्या एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित मामले में समझौते का सत्यापन और स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रामवतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एस.सी.सी. 635** के वाद में दिया गया है। उक्त निर्णय का प्रस्तर संख्या 17 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17. दूसरी ओर, जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रश्नागत अपराध, यद्यपि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से निजी या सिविल प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीड़िता की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहाँ विधिक कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तर्ज पर, जब किसी समझौते/निपटान के आधार पर अभिखंडित करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि भले ही प्रश्नागत अपराध के लिए दंड न दिया जाए, फिर भी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होगा या वह कम नहीं होगा, तो केवल इस तथ्य से कि अपराध एक "विशेष संविधि" के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

7. उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या 19 में आगे यह धारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. हम यह जोड़ने में तत्परता दिखा सकते हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क होना चाहिए कि परिवादी-पीड़िता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है न कि किसी दबाव के कारण। इसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कम करके नहीं आंका जा सकता है कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए वे दबाव के कृत्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और इसलिए उन्हें उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि न्यायालयों को मजबूरी या बल का जरा सा भी संकेत मिलता है, तो अभियुक्त पक्ष को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

8. गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2022 (8) ए.डी.जे. 691

के वाद में पूर्ण पीठ के निर्णय के परिशीलन से पता चलता है कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण का शमन एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत आपराधिक अपील में किया जा सकता है और इसके लिए धारा 482 दं.प्र.सं. का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. पूर्वोक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि चूंकि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापित कर लिया गया है, इसलिए विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, फिरोजाबाद द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 5674 वर्ष 2016 (ओम प्रकाश बनाम सतीश और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 89 वर्ष 2016, धारा 452, 323, 506 भा.द.सं. और एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1)10, थाना लाइनपार, जिला फिरोजाबाद से उत्पन्न है, में पारित आक्षेपित संज्ञान आदेश दिनांक 28.11.2016 से उत्पन्न आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. वर्तमान आपराधिक अपील दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते के शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती है।

3 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”